ఆంధ్రాబ్యాంక్
(భారత ప్రభుత్వ సంస్థ)
आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)

आन्ध्रा बैंक
प्रधान कार्यालय
"डॉ. पट्टाभि भवन"
5-9-11, सैफाबाद
हैदराबाद - 500 004

Andhra Bank
Head Office
"Dr. Pattabhi Bhavan"
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad - 500 004

विभाग DEPT: Board Secretariat
Merchant Banking Division
Telefax 040-23230883;Tel.No.040-23252371/2388
E-mail: mbd@andhrabank.co.in

Lr. No. 666/25/P.30/P.71U/176

Dt: 28.06.2017

The National Stock Exchange
Of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051.
Fax: 022-26598237/38

SYMBOL: ANDHRABANK

Dear Sir,

Sub: Submission of Notice of 17th Annual General Meeting of the Bank.
Ref: Our letter No.666/25/P.30/P.71U/147 dated 14.06.2017

Further to our earlier letter dated June 14, 2017, please find enclosed Notice of 17th Annual General Meeting of the Bank scheduled to be held on Friday, July 21, 2017 at 10:00 A.M. at 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,

(Y. Amarnath)
Company Secretary

Encl: as above

ANDHRA BANK M.B. Division H.O. Hyd.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
देशवासियों का बैंक Where India Banks

(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)

सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की 17वीं वार्षिक साधारण बैठक 21 जुलाई 2017 को प्रात:10:00 बजे 'पट्टाभि भावनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, 5-9-11, डॉ पट्टाभि भवन, सैफाबाद, हैदराबाद-500004 में निम्न उदेश्य हेतु आयोजित की जाएगी ।

- 31 मार्च 2017 तक लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता, लेखा-अवधि के दौरान बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र तथा खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने, उस पर विचार करने तथा उसे अपनाने हेतु ।

निदेशक मंडल हेतु और की ओर से

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 16/05/2017

(वाई अमरनाथ)
कंपनी सचिव

टिप्पणियां:

1. मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों की अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार नए प्रतिनिधि बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के अतिरिक्त मतदान अधिकारों का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

कम्पनी(प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 संशोधित अनुसार, के नियम 20 के अनुपालन में, शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार **विनिर्दिष्ट तिथि यथा शुक्रवार जुलाई 14,2017 तक माने जाएंगे ।**

उपर्युक्त की शर्त पर, आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 2003 के विनियम 68 के अनुसार, विनिर्दिष्ट, तिथि, यानी शुक्रवार, जुलाई 14, 2017 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / चुनाव द्वारा वोटिंग हेतु उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट प्राप्त होगा।

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :

उपर्युक्त विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले दर्ज व्यक्ति को, मतदान हेतु, इसका एकल धारक माना जाएगा। अत:, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो **प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने और संकल्पों पर मतदान देने हेतु पात्र हैं।**

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

शेयरधारक जिसे बैठक में भाग लेकर वोट करने का हकदार है, को अपने स्थान पर साधारण बैठक में भाग लेने और मतदान में भाग लेने हेतु प्रॉक्सी को नियुक्त करने का अधिकार है और ऐसा प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रभावी होने हेतु, प्रॉक्सी फार्म बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले याने कि शनिवार, **15 जुलाई 2017** को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए । बैंक के किसी भी कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है ।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने हेतु कंपनी के विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यप्रति, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति वाले संकल्प की एक प्रति, बैठक की तिथि से न्यूनतम 4 दिन पूर्व याने कि शनिवार, 15 जुलाई 2017 को सायं 5:00 बजे तक या उससे पहले हैदराबाद में बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा करा दी जाए।

4. उपस्थिति सह प्रवेश हेतु पास :

सदस्यों की सुविधा हेतु, उपस्थिति-पर्ची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे फार्म भरकर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास हेतु बैठक के स्थान के गेट पर दें । शेयरधारक के प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को प्रॉक्सी अथवा प्रतिनिधि के रूप में, जैसा भी मामला हो, उपस्थिति पर्ची पर दर्शाना चाहिए।

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
देशवासियों का बैंक Where India Banks

(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)

NOTICE

Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting of shareholders of Andhra Bank will be held on Friday, July 21, 2017 at 10.00 A.M . at 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad- 500004, to transact the following business:

….To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2017, Profit & Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad
Date: 16/05/2017

(Y. Amarnath)
Company Secretary

Notes:

1. Voting Rights

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders shall be reckoned as on the **Specified Date i.e., Friday, July 14, 2017.**

Subject to the above, as per Regulation 68 of Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified Date, i.e., Friday, July 14, 2017 shall have one vote for each share held by him/her in remote e-voting /voting through poll.

Exercise of rights of joint holders:

As per Regulation 10 of the above Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote on the Resolutions.**

2. Appointment of proxy

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and to participate in the voting at the venue of the General Meeting instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

In order to be effective, the proxy form must be deposited at the Head Office of the Bank atleast four days before the date of the meeting i.e., upto 05.00 p.m. on or before **Saturday, July 15, 2017.** No employee of the Bank shall be appointed as a duly authorized representative or as a proxy.

3. Appointment of an Authorised Representative :

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Hyderabad not less than four days before the date of the meeting i.e., upto 05.00 p.m. on or before Saturday, July 15, 2017.

4. Attendance slip-cum-entry pass:

For the convenience of the members, attendance slip is enclosed to this report. Members are requested to fill in and affix their signatures in the space provided therein and handover the attendance slip-cum-Entry pass at the entrance

5. बही संवरण :

वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में शेयरधारक रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही **शनिवार, 15 जुलाई 2017 से शुक्रवार 21 जुलाई 2017** (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

6. बैंक के निदेशक मण्डल ने वित्त वर्ष 2016-17 हेतु किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है ।

7. शेयर धारकों का पता, बैंक विवरण आदि में परिवर्तन अद्यतन करना

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या अपने रजिस्ट्रार को अपने पते, बैंक खाता विवरण में परिवर्तन, यदि हो, की सूचना दें ताकि तुरंत पत्राचार में सुविधा हो सके। इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के पास अपने पते, बैंक खाता विवरण में परिवर्तन, यदि हो, अद्यतन करवाएं।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरधारक विवरण अद्यतन करने हेतु बैंक या अपने रजिस्ट्रार को पैन विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सूचित करें। इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के पास उक्त विवरण अद्यतन करें।

8. फोलियो का समेकन:

जिन शेयरधारकों के शेयर, एक से अधिक खाते में मिलते-जुलते नामों के क्रम में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ऐसे खातों के लेजर-फोलियो की सूचना रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को दें तथा शेयर प्रमाण-पत्र भिजवाएं ताकि बैंक सभी शेयरों का एक खाते में समेकन कर सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात् शेयर प्रमाण-पत्र सदस्यों को लौटा दिए जाएंगे।

9. भौतिक होल्डिंग का डिमेटेरियलाइजेशन :

शेयरधारक जो अपने शेयर भौतिक माध्यम में धारण किये हुए हैं, अपनी धारिता को अभौतिक(डिमेटेरियलाइजेशन) रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने सम्बन्धित निक्षोपागार प्रतिभागी(डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट) से सम्पर्क करना है, जहां वे अपना डीमैट खाता बनाए रख सकते हैं ।

10. अंतरण हेतु प्रस्तुतीकरण:

विधिवत् भरे हुए अंतरण-विलेख सहित शेयर प्रमाण-पत्र निम्न पते पर बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को प्रेषित किए जाने चाहिए:-

मैसर्ज़ एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लिमिटेड (यूनिट: आन्ध्रा बैंक)
002, भू-तल, कांशीराम जमनादास बिल्डिंग
5, पी डी मेल्लो रोड, मस्जिद पूर्व
मुम्बई- 400 009

11. शेयरधारकों से अनुरोध:

क) कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की प्रतियां भौतिक रूप में उन शेयरधारकों को भेजी जा चुकी हैं, जिनका ई-मेल आईडी बैंक/ आरटीए में पंजीकृत नहीं है तथा ई-मेल से सॉफ्ट प्रति उन शेयरधारकों को भेजी गयी है जिनका ई-मेल आईडी बैंक/आरटीए में पंजीकृत है ।

ख) कृपया नोट करें कि किफायती उपायों के कारण वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक साधारण बैठक में नहीं बाँटी जाएंगी। अत: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति बैठक के स्थान पर साथ लाएं ।

ग) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक द्वारा अपने पते में परिवर्तन की सूचना अपने सम्बन्धित निक्षोपागार प्रतिभागी(डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट) को ही प्रेषित करनी है न कि बैंक या बैंक के पंजीयक तथा शेयर अन्तरण एजेन्ट को।

घ) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के स्थान पर कोई तोहफे / कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

ड़) शेयरधारकों से अनुरोध है कि थैली/ब्रीफकेस/ टेप रिकार्डर/ कैमेरा आदि लाने से बचें चूंकि इन सभी मदों की सुरक्षा जाँच की जा सकती है और बैठक स्थान में इन्हें लाए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. हरित पहल:

हरित पहल के समर्थन में, बैंक शेयरधारकों को, जिन्होंने अपने निक्षेपागार सहभागी/ बैंक रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत किया है, ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति भेजी है । बैंक ने निर्णय लिया है कि जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें यथा निर्धारित सभी प्रलेखों की मुख्य बातें युक्त संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति परिचालित की जाएगी ।

वार्षिक रिपोर्ट का पूर्ण पाठ बैंक की वैबसाईट www.andhrabank.in पर उपलब्ध होगा । यदि शेयरधारक मुद्रित प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो वे कृपया ई-मेल द्वारा mbd@andhrabank.co.in को अनुरोध भेजें, जिसके प्राप्त होने पर शेयरधारक को पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति भेजी जाएगी ।

13 अप्रदत्त/अदावाकृत/नहीं भुनाए गए लाभांश, यदि हों

जिन शेयरधारकों को वर्ष 2009-10 हेतु लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है अथवा दावा नहीं किया है (अंतरिम तथा अंतिम), उनसे अनुरोध है कि वे बैंक अथवा रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लि, मुम्बई से सम्पर्क करें ।

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएं कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) के अनुरूप, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त, अदावाकृत अथवा नहीं भुनाए गए लाभांश की राशि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जाए तथा तत्पश्चात बैंक अथवा आईईपीएफ को भुगतान हेतु कोई दावा वर्तमान सांविधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकेगा ।

of the venue of the meeting. Proxy / Representative of the shareholder should mark on the attendance slip as proxy or representative as the case may be.

5. Book Closure:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books would remain closed from **Saturday, July 15, 2017 to Friday, July 21, 2017** (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

6. The Board of Directors of the Bank has not recommended any dividend for the financial year 2016-17.

7. Updating of any change in address, bank details, etc. of the shareholders:

The shareholders holding the shares in physical form are requested to inform the Bank or its Registrars for noting any change in their address, bank account details, if any, for prompt receipt of any correspondence. The shareholders holding the shares in electronic form are requested to update the change in their address, bank account details, if any, with their respective Depository Participants.

The shareholders holding shares in physical form are requested to inform their PAN details, e-mail id, mobile no., etc. to the Bank or its Registrars for updation of shareholder details. Shareholders holding shares in electronic form are requested to update the said details with their Depository Participant.

8. Consolidation of Folios:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Registrars and Transfer Agent, the ledger folio of such accounts and send the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

9. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they may maintain their Demat account.

10. Lodgment for Transfers :

Share Certificates along with the duly filled in transfer deed should be forwarded to the Registrars and Transfer Agents of the Bank at the following address:

M/s. MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: Andhra Bank)
002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Building
5 P.D Mello Road, Masjid East
Mumbai – 400 009

11. Requests to Shareholders:

a. Please note that the copies of the Annual Report 2016-17 in physical form have been dispatched to those Shareholders who have not registered their e-mail ids with the Bank/RTA and in the soft copy by email to those shareholders who have registered their e-mail ids with the Bank/RTA.

b. Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting as an economy measure. Hence, shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the venue of the meeting.

c. Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

d. Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.

e. Shareholders are advised to avoid bringing bags / brief cases/ tape records / cameras etc. as these items are subject to a security check and may not be allowed at the venue.

12.Green Initiative:

In support of the green initiative, the Bank has sent the soft copy of the annual report through email to those shareholders who have registered their email id with their Depository Participant/ Bank's Registrar & Share Transfer Agent. The Bank has decided to circulate the hard copy of abridged annual report containing the salient features of all the documents, as prescribed to all those shareholder(s) who have not registered their email address(es).

Full version of the annual report will be available on the Bank's website www.andhrabank.in. In case a shareholder wishes to receive a printed copy, he/she may please send a request to the Bank by e-mail to the id: mbd@andhrabank.co.in; upon which hard copy of full annual report will be sent to the shareholder.

13. UNPAID/ UNCLAIMED/ UNENCASHED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not received or claimed dividend for the year 2009-10 are requested to contact the Bank or Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, MCS Share Transfer Agent Ltd, Mumbai.

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed or unencashed for a period of seven years is requested to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF shall be available to the shareholders in terms of existing statutory provisions.

14. मतदान प्रक्रिया

कार्यसूची मदों पर मतदान हाथों के प्रदर्शन के आधार पर नहीं होगा, अपितु रिमोट ई-वोटिंग और मतदान द्वारा आम सभा बैठक के आयोजन स्थल पर किया जाएगा ।

रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम बैंक की वेबसाइट पर तथा रिमोट ई-वोटिंग एजेन्सी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी जायेगी ।

15. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग

सेबी के विनियम 44(1) (निबन्धन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 तथा कम्पनियों(प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुपालन या इसके तहत किए गए संशोधनों के संदर्भ में, बैंक हर्ष के साथ वार्षिक आम सभा बैठक के आयोजन स्थल पर अपने सदस्यों के लिए मतदान के साथ साथ रिमोट ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान करने का प्रस्ताव देता है, जो उन्हें अपने मतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने और संकल्पों को पारित करने में सक्षम बनाता है रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है ।

शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम सभा बैठक में प्रस्तावित संकल्पों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.03.2015 में 'रिमोट ई-वोटिंग' कहा गया है उक्त नियमों को कम्पनियों (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 कहा गया है ।

इस उदेश्य के लिए, बैंक ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के लिए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु मैसर्स नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है । बैंक ने मैसर्स एस एन अनन्तसुब्रमण्यन एण्ड कम्पनी को उचित और पारदर्शी तरीके से वार्षिक आम सभा बैठक के आयोजन स्थल पर रिमोट ई-वोटिंग और मतदान आयोजन का परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया है ।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि जुलाई 18, 2017 को प्रात: 10:00 बजे से आरम्भ होकर 20 जुलाई, 2017 को सांय 5:00 बजे समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, बैंक के भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को, विनिर्दिष्ट तिथि, 14 जुलाई, 2017 को अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं इसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा ।

रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा प्रकार निम्नानुसार है :

क) सदस्य द्वारा एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त होने के प्रकरण में [जिन सदस्यों की ई-मेल आईडी बैंक/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं के लिए] :

(i) ई-मेल खोलें तथा " रिमोट ई-वोटिंग.पीडीएफ" पीडीएफ फाइल अपनी क्लाइन्ट आईडी या फोलियो नम्बर को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए खोलें । उक्त पीडीएफ फाईल में रिमोट ई-वोटिंग के लिये आपका प्रयोगकर्ता आईडी तथा पासवर्ड/पिन शामिल है कृपया ध्यान दें कि इसमें दिया गया पासवर्ड एक आरम्भिक पासवर्ड है ।

नोट: ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत शेयरधारक पीडीएफ फाइल "रिमोट ई-वोटिंग.पीडीएफ" प्राप्त नहीं करेंगे ।

(ii) इंटरनेट ब्राउज़र लॉंच कर निम्नलिखित URL टाइप https://www.evoting.nsdl.com/ करें ।

(iii) शेयर-होल्डर पर क्लिक करें -लॉग इन

(iv) अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड (एनएसडीएल द्वारा शेयरधारकों को बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास जिनके ई-मेल पते हैं को पंजीकृत ई-मेल में उल्लिखित आरम्भिक पासवर्ड) और सत्यापन कोड जैसा प्रदर्शित है प्रविष्ट करें -लॉग इन क्लिक करें ।

(v) पासवर्ड परिवर्तन मीनू दिखाई देता है। न्यूनतम 8 अंक/अक्षरों या उनके संयोजन से अपनी पसंद के नए पासवर्ड के साथ पासवर्ड/पिन बदलें नया पासवर्ड नोट करें । दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यन्त सावधानी बरतें ।

(vi) रिमोट ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा । रिमोट ई-वोटिंग पर क्लिक करें: सक्रिय मतदान साइकल्स

(vii) "आन्ध्रा बैंक" का "ईवन" चुनें ।

(viii) अब आप रिमोट ई-वोटिंग हेतु तैयार हैं, चूंकि वोट देने वाला पृष्ठ खुल चुका है ।

(ix) सही विकल्प का चयन कर अपना वोट दें तथा "सबमिट" पर क्लिक करें तथा पूछे जाने पर पुष्टि करें ।

(x) पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक दी गई" संदेश प्रदर्शित होगा ।

(xi) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एच.यू.एफ., एन.आर.आई. आदि को छोड़कर) को वोट देने हेतु विधिवत अधिकृत हस्ताक्षकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ सम्बन्धित संकल्पध्प्राधिकरणज़ पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पी.डी.एफ./जे.पी.जी. फार्मेट/ई-मेल द्वारा जाँचकर्ता को scrutinizer@snaco.net, तथा प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजना अपेक्षित है ।

ख. यदि किसी सदस्य को ए.जी.एम. सूचना की के भौतिक प्रति (जिन सदस्यों की ई-मेल आई.डी. बैंक / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों में पंजीकृत नहीं हैं अथवा भौतिक प्रति का अनुरोध प्राप्त होता है) प्राप्त होती है:

प्रारंभिक पासवर्ड तथा बैंक का ई.वी.ई.एन. नम्बर आपको अलग से भेजा जाएगा।

ई.वी.ई.एन (रिमोट ई-वोटिंग इवेंट नम्बर) यूज़र आई.डी. पासवर्ड / पिन

कृपया वोट देने हेतु क्र. सं. (ii) से (xii) तक उक्त सभी कदम उठाएं ।

I.कोई प्रश्न होने पर, आप सदस्यों हेतु बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) का संदर्भ अथवा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों हेतु उपलब्ध यूज़र-मैनुअल अथवा टौल-फ्री नम्बर 1800222990 पर सम्पर्क कर सकते हैं ।

II. यदि आप रिमोट ई-वोटिंग हेतु पहले ही एनएसडीएल में पंजीकृत हैं, तो आप वोट देने हेतु अपना वर्तमान यूज़र आईडी तथा पासवर्ड/पिन का प्रयोग कर सकते हैं ।

14. Poll Process

The voting on the Agenda item will not be on the basis of show of hands but shall be done by remote e-voting and poll at the venue of the General Meeting.

The consolidated Results of Remote e-voting and Poll will be posted on the website of the Bank and on the website of the remote e-voting Agency and will be informed to the Stock Exchanges.

15. Voting through electronic means

In terms of Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto, the Bank is pleased to offer Remote e-voting facility besides Poll at the venue of the meeting, for its Members at the Annual General Meeting which will enable them to cast their votes electronically and to pass the RESOLUTIONS. Remote e-voting is Optional.

The facility to exercise the right to vote on resolutions proposed to be considered at General Meeting by the shareholders, by electronic means has been termed as 'Remote e-voting' by Ministry of Corporate Affairs vide their Notification dated 19.03.2015. These Rules are called as the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015.

For this purpose, the Bank has appointed M/s. National Securities Depository Limited (NSDL) for providing e-voting platform for facilitating its Members to vote electronically. The Bank has also appointed M/s S.N Ananthasubramanian & Co., as the Scrutiniser for conducting the Remote e-voting and Poll at the venue of the General Meeting in a fair and transparent manner.

The remote e-voting period begins at 10.00 A.M. on July 18, 2017 and ends at 5.00 P.M. on July 20, 2017. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the specified date, July 14, 2017 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The process and manner for remote e-voting are as under:

A. In case a Member receives an email from NSDL [for members whose email IDs are registered with the Bank/ Depository Participants(s)] :

(i) Open email and open PDF file viz; "remote e-voting. pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.

NOTE:Shareholders already registered with NSDL for e-voting will not receive the PDF file "remote e-voting. pdf".

(ii) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/

(iii) Click on Shareholder - Login

(iv) Put your user ID and password (the initial password mentioned in the e-mail sent by NSDL to shareholders whose email addresses are registered with the bank/ depository participant(s)) and verification code as displayed. Click Login.

(v) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.

(vii) Select "EVEN" of "ANDHRA BANK".

(viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.

(ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

(x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

(xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@ nsdl.co.in

B. In case a Member receives physical copy of the Notice of AGM [for members whose email IDs are not registered with the Bank/Depository Participants(s) or requesting physical copy] :

Initial password and EVEN of the Bank will be sent to you separately.

EVEN (Remote e-voting Event Number) USER ID PASSWORD/PIN

Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

I. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

II. If you are already registered with NSDL for remote

III. आप फ़ोलियो के यूज़र-प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आई.डी भी अपडेट कर सकते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में संसूचना हेतु किया जा सकता है ।

IV. सदस्यों के वोटिंग अधिकार 14 जुलाई 2017 की विनिर्दिष्ट तिथि पर बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयर के अनुपात में होंगे ।

V. कोई व्यक्ति, जिसके पास बैंक के शेयर हों, तथा नोटिस के प्रेषण के पश्चात बैंक का सदस्य बना हो तथा 14 जुलाई 2017 अर्थात विनिर्दिष्ट तिथि तक शेयर-धारक हो, वह लॉग-इन आई.डी. तथा पासवर्ड evoting@nsdl.co.in या आन्ध्रा बैंक/मैसर्ज़ एम.सी.एस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (आरटीए) से अनुरोध कर प्राप्त कर सकता है ।

फिर भी, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग हेतु पहले ही एनएसडीएल में पंजीकृत हैं, तो आप वोट देने हेतु अपने वर्तमान यूज़र आई.डी. तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हों, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'यूज़र विवरण/पासवर्ड भूल गए' द्वारा अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अथवा निम्न टोल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क करें ।

VI. कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट के अधिकार के पश्चात भी ए.जी.एम. में भाग ले सकता है, परन्तु ए.जी.एम. में पुन: वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

VII. किसी व्यक्ति का नाम यदि सदस्यों के रजिस्टर अथवा विनिर्दिष्ट तिथि तक डिपॉजिटरियों द्वारा रखे हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, तो केवल मतदान द्वारा ए.जी.एम. वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा हेतु पात्रता होगी ।

नोट :

• यूज़र विवरण/पासवर्ड भूल जाने वाले शेयरधारक "यूज़र विवरण/पासवर्ड भूल गए" अथवा "भौतिक यूज़र रीसेट पासवर्ड" विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं www.evoting.nsdl.com उपलब्ध है ।

• यदि शेयरधारक के पास शेयर डीमैट रूप में हो, तो यूज़र-आई.डी. सम्मिश्रण है (डीपी आईडी + ग्राहक आईडी) ।

• यदि शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हो, तो यूज़र-आई.डी. सम्मिश्रण है (ई.वी.ई.एन. नम्बर + फोलियो नम्बर) ।

सामान्य जानकारी :

क. रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार 18 जुलाई, 2017 को प्रात: 10 बजे से प्रारम्भ होगी और गुरूवार 20 जुलाई, 2017 को सांय 05.00 बजे समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान मामले में शुक्रवार, 14 जुलाई, 2017 वोटिंग हेतु विनिर्दिष्ट तिथि तक बैंक के शेयरधारक, जिनके पास भैतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयर हैं, इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं ।

ख. कार्यसूची मद पर मतदान रिमोट ई-वोटिंग तथा ए.जी.एम. में मतदान द्वारा होगा । जो रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे ए.जी.एम. के स्थान पर मतदान के समय भाग लेने एवं वोट देने हेतु पात्र होंगे ।

ग. इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी द्वारा वोटिंग हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल डिसेबल कर दिया जाएगा । शेयरधारक द्वारा संकल्प पर वोट दिए जाने के बाद, शेयरधारक द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता ।

घ. मैसर्ज़ एस.एन. अनंतसुब्रामणियन एंड कं., कंपनी सचिव बैंक की 17 वीं बैठकमें वोटिंग-प्रक्रिया हेतु कार्यसूची-मद के सम्बन्ध में अन्य शेयरधारक सहित जाँचकर्ता का कार्य करेंगे ।

ड़. रिमोट ई-वोटिंग तथा आम बैठक के कार्य स्थान पर ई-वोटिंग के समेकित परिणाम को अध्यक्ष अथवा लिखित अधिकृत व्यक्ति द्वारा बैंक की वेबसाइट www.andhrabank.in और एनएसडीएल की वेबसाइट में पोस्ट किया जाएगा और आम बैठक आयोजित की जाने की 48 घंटों की अवधि में स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा ।

नोटिस प्रेषित किया जाना :

बैंक के वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति तथा 17 वीं वार्षिक आम सभा बैठक का नोटिस दोनों बैंक के किसी सदस्य शेयरधारक द्वारा उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फॉर्म के हार्ड प्रति में नहीं मांगे जाने तक, बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत ई-मेल पते पर रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा प्रकार का उल्लेख करते हुए सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किए गए हैं । उन सदस्यों के लिए जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं है, बैंक की उपरोक्त वार्षिक रिपोर्ट में 17वीं वार्षिक आम सभा बैठक के नोटिस की भौतिक प्रति अनुमति दिए गए प्रकार से प्रेषित की जा रही है

टिप्पणी :

बैंक को अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि शेयरधारक वार्षिक साधारण बैठक की कार्यसूची मदों के संबंध में, कोई सुझाव देना चाहते हैं, स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं आदि अपने सुझाव, प्रश्न आदि बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय के निवेशक सेवा अनुभाग को भेजें।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : हैदराबाद **(वाई. अमरनाथ)**

दिनांक : 16/05/2017 **कंपनी सचिव**

e-voting then you can use your existing user ID and password/ PIN for casting your vote.

III. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

IV. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the specified date of 14th July, 2017.

V. Any person, who acquires shares of the Bank and become member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as on the specified date i.e. 14th July, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Andhra Bank / M/s MCS Share Transfer Agent Ltd (RTA).

However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

VI. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

VII. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the specified date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Poll.

Note:

- Shareholders who forgot the User Details/ Password can use "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com .
- In case, Shareholders are holding shares in demat mode, USER-ID is the combination of (DP ID + Client ID)
- In case, Shareholders are holding shares in physical mode, USER-ID is the combination of (Even No + Folio No)

General Information:

A. The Remote e-voting period begins from 10 A.M. on Tuesday, July 18, 2017 and ends at 05.00 P.M. on Thursday, July 20, 2017. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the specified date for voting, Friday, July 14, 2017, may cast their vote for the agenda item.

B. The voting on the agenda item shall be done by remote e-voting as well as by Poll at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to vote at the Poll to be conducted at the venue of the AGM.

C. The Remote e-voting module will be disabled by the Remote e-voting Agency for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

D. M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer along with another shareholder with respect to agenda item for the voting process to be conducted at the 17th Annual General Meeting of the Bank.

E. The Results of the voting at the AGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.andhrabank.in and on the website of the NSDL immediately after the declaration of the results by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

16. Serving of Notice

Electronic copy of the Annual Report of the Bank for the FY 2016-17 including Notice of the 17th Annual General Meeting of the Bank inter-alia indicating the process and manner of remote e-voting along with the Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Bank/ Depository Participant(s) unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their e-mail address, physical copies of the said Annual Report including Notice of the 17th Annual General Meeting of the Bank, are being sent in the permitted mode.

Note:

Bank shall highly appreciate if shareholders, desirous of making any suggestion, seeking clarification, etc. relating to the item of agenda only, at the General Meeting, may send their suggestions, Queries, etc. so as to reach the Investors' Services Cell at Head Office of the Bank atleast 15 days before the date of meeting.

By order of the Board of Directors

Place: Hyderabad **(Y. Amarnath)**
Dated: 16.05.2017 **Company Secretary**